<u>न्यायालय , भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बेरमो (तेनुघाट)</u>
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 43 वर्ष 2024

आवेदक–महेश मुण्डा
ग्राम – बकसपुरा
थाना – जरीडीह जिला–बोकारो

क्रेता– अमित कुमार सोरेन
ग्राम– बाराडीह
थाना –जरीडीह जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03
24.06.2024	**आदेश**	

यह वाद आवेदक महेश मुण्डा पिता स्व0 भुनेश मुण्डा निवास ग्राम बकसपुरा थाना जरीडीह जिला बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क)के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
कल्याणपुर	81	12	446	45 डी0	28 डी0	

को वे अपना बीमारी के ईलाज एवं घरेलु खर्च हेतु मो0 2,10,000/– (दो लाख दस हजार) रूपये मे क्रेता– अमित कुमार सोरेन पिता सुफल मॉझी निवास ग्राम बाराडीह थाना जरीडीह जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1).(क)के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 551/(क) रा0 दिनांक 02.05.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी, जरीडीह से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, जरीडीह के पत्रांक 635 दिनांक 22.06.2024 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता का मूल एवं वर्तमान निवास ग्राम बकसपुरा थाना जरीडीह जिला बोकारो एवं क्रेता का मूल एवं वर्तमान निवास ग्राम बाराडीह थाना जरीडीह जिला बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में नेतु मुण्डा वगैरह कौम मुण्डा के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी जगदीश मुण्डा वगैरह के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0 8/2 परं दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2020 –21 तक निर्गत है। बिकेता को यह भूमि ,खतियान द्वारा हासिल है।
03. खतियानी रैयत से बिकेता का संबंध परदादा–परपोता का है। बिकी की जानेवाली भूमि बिकेता के हक एवं हिस्से के अन्तर्गत है जिसपर बिकेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहण क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने

ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन बिक्रेता के खतियानी जमीन है तथा सर्वे खतियान में नेतु मुण्डा वगैरह कौम मुण्डा के नाम दर्ज है एवं जमाबन्दी जगदीश मुण्डा वगैरह के नाम से चल रही है बिक्री वाली जमीन उसकी है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. विक्रेता- नेतु मुण्डा वगैरह कौम मुण्डा वगैरह के नाम सर्वे खतियान की छायाप्रति, जगदीश मुण्डा वगैरह के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता- आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी जरीडीह से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता का मूल एवं वर्तमान निवास ग्राम बकसपुरा थाना जरीडीह जिला बोकारो एवं केता ग्राम बाराडीह थाना जरीडीह जिला बोकारो का निवासी है। आवेदित भूमि बिक्रेता के खतियानी जमीन है, जिसे वें आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक महेश मुण्डा पिता स्व0 भुनेश मुण्डा निवास ग्राम बकसपुरा थाना जरीडीह थाना जिला बोकारो :-

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
कल्याणपुर	12	446	45 डी0	28 डी0	बहादुरपुर सीमाना	एन0एच0 रोड	मालती देवी	नेतुवा मुण्डा
कुल 28 डी0 (अठाईस) डीस्मिल मात्र।								

मो0 रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनत्म भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता- 2,10,000/- (दो लाख दस हजार) रूपये अमित कुमार सोरेन पिता सुफल मॉझी निवास ग्राम बाराडीह थाना जरीडीह जिला बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

24.6.24

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

24.6.24

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.08.22 16:27:04 +05:30
Location: 192.168.45.43